# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खट्नावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 223/2018

| प्रार्थीगण | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1. गुणेशराम पुत्र रावतराम<br>2. तेजाराम पुत्र रावतराम<br>3. शंकरराम पुत्र रावतराम<br>जाति–माली, निवासी–ग्यास,<br>तहसील–जैतारण, जिला–पाली<br>(राज.) | | 1. पांचाराम पुत्र भींजाराम<br>2. भीकाराम पुत्र भींजाराम<br>जाति–माली, निवासी–ग्यास,<br>तहसील–जैतारण, जिला–पाली<br>(राज.) |

**राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ता कायम करवाने अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955** तारीख रजू:.04/06/2018

उपस्थितः. 1. श्री ,करणीदान चारण अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री तुलछाराम माली अधिवक्ता अप्रार्थीण।

**–:: निर्णय ::–** **दिनॉकः– 25/02/2019**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा ग्यास में कृषि भूमि खसरा नम्बर 19 रकबा 24–7 बीघा आई हुई है। नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेश प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। जिसे प्रार्थना पत्र का भाग माना जावें। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी की उक्त भूमि आई हुई है जो पहले रावत भींजा पिसरान मूला कौम माली के खातेदारी की थी जो अपने अपने हिस्से में काबिज है तथा भूमि शामलाती है। प्रार्थीगण के अपने कब्जा सुदा भूमि में आने जाने हेतु रास्ता है जो लगभग 15 फुट चौड़ाई व अपने खेतों तक पहुचने के लिए लम्बाई में आया हुआ है जिसे अप्रार्थीगण को बंद करने व रोक टोक करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण मूला के वारिसान है। तथा खातेदार काश्तकार होकर काबिज है खेतीहर मजदूर है जिनके अपने अपने खेतों में जाने हेतु रास्ता कायम किया हुआ है। अप्रार्थीगण ने बिना प्रार्थीगण की ईजाजत के मौके पर चल रहे है रास्ता को कातले व बाड लगाकर बंद कर दिया है जिसे खोलने का प्रार्थीगण ने कई बार कहा परन्तु अप्रार्थीगण टंटा पसाद करने पर आमादा है व रास्ता नहीं खोल रहे है। दिनांक 20/05/2018 को गांव में इस रास्ता बाबत् गांव के लोग इकट्ठे हुए उन्होनें भी अप्रार्थीगण को रास्ता में की गयी रोक टोक को हटाने हेतु कहा तो इंकार हो गए। प्रार्थीगण काश्तकार है तथा खेतों में जाने हेतु रास्ता की सख्त आवश्यकता रहती है। वर्षा का मौसम आने वाला है ऐसी स्थिति में खेतों में काश्त करने हेतु आने जाने के लिए रास्ता की आवश्यकता रहती है अगर रास्ता तुरन्त पुलिस इमदाद से नहीं खुलवाया गया तो प्रार्थीगण अपनी खेती से महरूम हो जायेगा एवं वंचित हो जायेगा। अप्रार्थीगण रास्ता में रोक टोक करने का कोई अधिकारी नहीं है। अप्रार्थीगण टंटा पसाद करने पर आमादा है ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश है।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण की और से वकालतनामा पेश हुआ।

प्रार्थीगण मय अधिवक्ता एवं अप्रार्थीण मय अधिवक्ता ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा में व्यक्त किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के संयक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 19 रकबा 24-07 बीघा मौजा ग्यास में आया हुआ हैं। जिसे में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा हैं व अप्रार्थीगण का भी 1/2 हिस्सा हैं। जिसमें उत्तर से दक्षिण दिशा में दो बराबर के हिस्से किये गये हैं। अप्रार्थीगण का हिस्सा पूर्व की तरफ हैं तथा प्रार्थीगण का पश्चिम दिशा का हिस्सा हैं। जिस पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण काबिज हैं। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण आपस में भाई व एक ही परिवार व समाज के हैं। प्रार्थीण ने अपने हिस्से के पश्चिमी दिशा के खेत में जाने के लिए अप्रार्थीगण के अपने हिस्से के पूर्वी दिशा के खेत में से रास्ते हेतु धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधि. के तहत आवेदन किया हैं पक्षकारान के मध्य आपसी समझाईश हो जाने से राजीनामा अनुसार खेत खसरा नम्बर 19 की दक्षिणी माठ के पास अप्रार्थीगण के खेत में पूर्व से पश्चिम की और अप्रार्थीगण के खेत में जाने हेतु 17 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त रूप से उपयोग उपभोग करने के लिए प्रार्थीगण के खेत तक जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत से सामलाती रूप में रास्ता बनाया गया हैं। उक्त रास्ते के बदले खातेदारों को कोई राशि का भुगतान नही करना हैं, आपसी समझाईश कर ली हैं। बाद राजीनामा पुथक से तस्दीक किया जाकर सा0मि0 किया गया।

*कृषकों के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करते हुए ही धारा 2015 काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251 क का संशोधन किया गया हैं जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार –*

*" (ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता हैं, तो एक अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे "*

*उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जांच पश्चात् वैकल्पिक मार्ग नही होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किये गये प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञान किया जा सकेगा।*

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। राजीनामा का अवलोकन किया गया। चूंकि मूल खसरा नम्बर 19 का रेकर्डेड बंटवाड़ा हो चुका हैं लेकिन मौके पर तरमीम नही हो रखी हैं जिसमें सहमति से रास्ता बनाया गया हैं। सहमति से बनाये गये रास्ते की भूमि अपार्थीगण के हिस्से की हैं। वस्तुतः खसरा नम्बर 19 की दक्षिणी माठ के पास अप्रार्थीगण के खेत में पूर्व से पश्चिम की ओर अप्रार्थीगण के खेत में जाने हेतु 17 फुट चौड़ा रास्ता बनाया गया हैं जिसे राजस्व रेकर्ड में सार्वजनिक रास्ता कायम कर अमल दरामद करवाने हेतु राजीनामा पेश किया हैं। अतः खसरा नम्बर 19 की दक्षिणी माठ के पास अप्रार्थीगण की भूमि में 17 फुट चौड़ा रास्ता हैं जिसे सार्वजनिक रास्ता कायम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर मौके पर पत्थरगढ़ी / नेखमबन्दी करवाया जाना उचित समझते हैं।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

## −:: आदेश ::−

अतः माफिक राजीनामा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। सरहद मौजा ग्यास में खसरा नम्बर 19 रकबा 24−7 बीघा अप्रार्थीगण के हिस्से की कृषि भूमि में दक्षिणी माठ के पास 17 फुट चौड़ा रास्ता है जिसे सार्वजनिक रास्ता कायम करने के आदेश दिए जाते हैं। राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर मौके पर पत्थरगढ़ी / नेखमबन्दी करवाई जावें। तहसीलदार, जैतारण को पालना हेतु लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला−पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 25/02/2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला−पाली (राज0)